न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 49/2020

प्रार्थीगण

कपुदेवी पुत्री स्वर्गीय श्री राजाजी, जाति–पुरोहित, निवासी–कैलाशनगर, हाल निवासी–सिवणा, जिला–जालोर, राजस्थान. (मृतक) के कायम मुकाम उत्तराधिकारीः–

(1). दरगाराम पुत्र प्रागाजी, जाति– पुरोहित, निवासी– सिवणा, तह. व जिला– जालोर

(2) शारदा पुत्री प्रागाजी पत्नि नरपतकुमार, जाति–पुरोहित, निवासी– सियाणा, तहसील– जालोर, जिला– जालोर

(3) फैंसी पुत्री प्रागाजी पत्नि भोपारामजी, जाति– पुरोहित, निवासी– सियाणा, तहसील– जालोर, जिला–जालोर

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) ग्राम पंचायत, कैलाशनगर, सरपंच, ग्राम पंचायत, कैलाशनगर, तहसील–शिवगंज

(2) श्रीमती नीरुदेवी उर्फ नैनुदेवी पत्नि स्वर्गीय श्री रूपचन्द, जाति–पुरोहित, निवासी–कैलाशनगर, तहसील–शिवगंज, जिला सिरोही, राजस्थान

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, प्रार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री अश्विन कुमार मरडिया, अप्रार्थी संख्या–2 (दो) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 17 जनवरी, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत श्री रुपचन्द पुत्र राजाजी पुरोहित, निवासी– कैलाशनगर के पक्ष में क्षेत्रफल 2645 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 16.12.2009 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर तामिल करवाये गये एवं ग्राम पंचायत, कैलाशनगर से उक्त पट्टा संख्या 36 दिनांक 16.12.2009 से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां तलब की गई। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या– 2 (नीरुदेवी उर्फ नैनूदेवी) की ओर से अधिवक्ता श्री अश्विन कुमार मरडिया उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या– 2 (नीरुदेवी उर्फ नैनूदेवी) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या–1 (एक) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रार्थीया कपूदेवी पुत्री स्वर्गीय राजाजी, जाति– पुरोहित, निवासी– कैलाशनगर, हाल– सिवणा की मृत्यु हो जाने से प्रार्थीया कपूदेवी के कायम मुकाम (प्रार्थी संख्या 1 से 3) की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3, 9 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत हुआ। जिस पर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.10.2024 के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 3, 9 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर मृतक प्रार्थी कपूदेवी के कायम मुकाम (प्रार्थी संख्या 1 से 3) को इस प्रकरण में पक्षकार बनाये जाकर रेकर्ड पर लिये जाने के आदेश पारित किये गये। तद्नुसार प्रार्थीगण की ओर से संशोधित शीर्षक अनवान प्रस्तुत हुआ।

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर *सिरोही*

(3) प्रकरण में दिनांक 10.01.2025 को बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री मेड़तिया ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीगण के माता कपूदेवी के पुश्तैनी आवासीय मकान ग्राम कैलाशनगर में आया हुआ है, जिस पर प्रार्थीगण की माता कपूदेवी के पिता स्वर्गीय श्री राजाजी अपने परिवार के साथ अपने पुरे जीवनकाल में काबिज रहे है। प्रार्थीगण के नाना (प्रार्थीगण की माता के पिता) का स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रार्थीगण की माता का भी यह निगरानी आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद निगरानी आवेदन के विचाराधीन रहते हुए मृत्यु हो गई है। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा इस प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थी कपूदेवी के विधिक वारिसान की हैसियत से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3, 9 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत करने पर प्रार्थीगण को इस न्यायालय द्वारा पक्षकार बनाया जाकर रेकर्ड पर लिया गया है। यह कि स्वर्गीय राजाजी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकार तथा वारिस में प्रार्थीगण की माता कपूदेवी तथा उनका पुत्र रूपचन्दजी है। प्रार्थीगण के मामा व प्रार्थीगण की माता के भाई रूपचंदजी का भी स्वर्गवास हो चुका है, जिनकी अप्रार्थी संख्या 2 (दो) पत्नि होने से वारिस है। अप्रार्थी संख्या 2 के कोई संतान नहीं है। यह कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा श्री रुपचन्द पुत्र राजाजी. पुरोहित, निवासी– कैलाशनगर के पक्ष में जारी प्रश्नगत पट्टा संख्या 36 दिनांक 16.12.2009 की आवासीय सम्पति स्वर्गीय राजाजी की सम्पति है। स्वर्गीय राजाजी के स्वर्गवास के बाद उक्त आवासीय सम्पत्ति उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी, प्रार्थीगण की माता कपूदेवी व अप्रार्थी संख्या 2 के पति स्वर्गीय श्री रूपचंदजी को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण की माता कपूेवी के भाई स्वर्गीय रूपचंदजी ने प्रार्थीगण की माता कपूदेवी के जीवित रहते उक्त तथ्य को छुपाकर अकेले के नाम से उक्त सम्पत्ति का पट्टा जारी करवाया है जबकि प्रार्थीगण की माता कपूदेवी का उक्त आवासीय सम्पत्ति में 1/2 आधा हिस्सा स्वामित्व हक अधिकार का है, जो स्वर्गीय राजाजी की पुत्री होने के नाते प्रार्थीगण की माता कपूदेवी को उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है, लेकिन अप्रार्थी संख्या–2 (नीरुदेवी उर्फ नैनूदेवी) के पति स्वर्गीय रूपचंदजी ने ग्राम पंचायत, कैलाशनगर के पदाधिकारियों से मेल मिलाप कर गुपछुप तरीके से स्वर्गीय राजाजी की उक्त आवासीय सम्पति का अकेले स्वयं के नाम से पट्टा प्राप्त कर लिया है, जबकि स्वर्गीय रूपचंदजी को स्वयं के अकेले के हक में पट्टा जारी करवाने का अधिकार नहीं था तथा न ही ग्राम पंचायत, कैलाशनगर को स्वर्गीय राजाजी की आवासीय सम्पति का अकेले रूपचंदजी पुत्र राजाजी पुरोहित के हक में पट्टा जारी करने का कोई अधिकार है। प्रार्थीगण की माता कपूदेवी को प्रश्नगत पट्टे की जानकारी होने पर प्रार्थीगण की माता कपूदेवी द्वारा एतराज किया गया तो अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त सम्पत्ति में प्रार्थीगण की माता का आधा हिस्सा होना स्वीकार करते हुए पट्टे में प्रार्थीगण की माता कपूदेवी का नाम दर्ज करवाने हेतु प्रार्थीगण की माता को आश्वासन दिया, लेकिन अप्रार्थी संख्या–2 ने पट्टे में प्रार्थीगण की माता कपूदेवी का नाम दर्ज नही करवाया है। यह कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा प्रार्थीगण की माता कपूदेवी के पिता अर्थात् प्रार्थीगण के नानाजी स्वर्गीय रूपचंदजी के हक हिस्से के मकान का अप्रार्थी संख्या–2 के पति रुपचन्द जी अकेले के हक में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी किया है, जो गलत व विधि विरूद्ध है। यह कि विवादित सम्पत्ति प्रार्थीगण की माता के पिता राजाजी की है तथा प्रार्थीगण के नानाजी अर्थात् प्रार्थीगण के माता कपूदेवी के पिता की मृत्यु के बाद उक्त सम्पत्ति प्रार्थीगण की माता कपूदेवी पुत्री होने के नाते आधा हिस्सा है। स्वर्गीय रूपचंदजी, प्रार्थीगण की माता का भाई था, प्रार्थीगण की माता कपूदेवी व स्वर्गीय रूपचंदजी का उक्त सम्पत्ति में आधा–आधा हिस्सा स्वामित्व हक अधिकार तथा कब्जे का है। उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत,

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कैलाशनगर ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर उक्त पट्टा जारी किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच ने उक्त पट्टा सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध तरीके से स्वर्गीय रूपचंदजी को अनुचित फायदा पहुँचाने की गरज से गुपछुप तरीके से दिया गया है। उक्त सम्पत्ति में प्रार्थीगण की माता कपूदेवी का आधा हिस्सा होने की जानकारी ग्राम पंचायत, कैलाशनगर व ग्राम पंचायत के नुमाइन्दों को है, फिर भी उक्त तथ्य को नजरअंदाज कर पट्टा जारी किया गया है जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा रुपचन्द जी के हक में पट्टा जारी करने से पूर्व विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। पट्टा जारी करने से पूर्व मौका निरीक्षण नहीं किया गया एवं न ही आपत्ति नोटिस किसी भी प्रकार के जारी किए गए है, अन्य किसी भी आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, स्वतंत्र व्यक्तियों के बयान नहीं लिए गए, जिससे पट्टा विधि अनुसार जारी नहीं किए जाने एवं सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। बहस के दौरान प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त 2008 DNJ (SC) 852 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि प्रश्नगत पट्टे से संबंधित सम्पति प्रार्थीगण की माता कपुदेवी एवं अप्रार्थी संख्या 2 के पति रुपचन्द जी के पिता राजाजी की सम्पति है एवं राजाजी की मृत्यु के बाद उक्त सम्पति, प्रार्थीगण की माता कपूदेवी और अप्रार्थी संख्या–2 के पति रुपचन्द जी को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, जिसमें प्रार्थीगण की माता का भी बराबर बराबर हिस्सा है। ग्राम पंचायत को स्वामित्व के मामलों को तय करने का अधिकार नही है। सम्पति के स्वामित्व को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही तय किया जा सकता है। उसके बावजूद भी स्वर्गीय राजाजी की उक्त आवासीय सम्पति का ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 रुपचन्द जी के अकेले के पक्ष में ही पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा रुपचन्द जी पुत्र राजाजी पुरोहित, निवासी– कैलाशनगर के पक्ष में क्षेत्रफल 2645 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 16.12.2009 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या–2 (दो) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रार्थीगण की माता कपूदेवी का कोई पुश्तैनी आवासीय मकान गांव कैलाशनगर में नहीं है। प्रश्नगत सम्पति पुश्तैनी सम्पति की परिभाषा में नहीं आती है। प्रार्थीगण के नाना अर्थात् प्रार्थीगण की माता के पिता उनके कृषि भूमि अरठ खसरा संख्या 2435 पर बने हुए मकान पर मय परिवार निवास करते थे। प्रार्थीगण की माता कपूदेवी ने जिस मकान को अपने पिता राजाजी का बता कर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया था वह मकान राजाजी के पुत्र रूपचंदजी का खरीदशुदा व बनवाया हुआ था। उक्त पीपलीयां वास स्थित मकान वाली भूमि श्री समेला पुत्र मोतीजी के कब्जे व स्वामित्व की थी। समेलाजी के कब्जेशुदा भूमि 4842 वर्गफीट थी। समेलाजी रूपचंदजी के कुटुम्बी भाई थे। समेलाजी ने अपने स्वामित्व की भूमि में से गली के नुक्कड़ वाली 2645 वर्गफीट भूमि रूपए 700/– में वर्ष 1970 में श्री रूपचंदजी को विक्रय की थी। समेलाजी के कब्जे की उक्त भूमि का पट्टा नहीं होने से और कुटुम्बी भाई होने से भूमि का विक्रय विलेख तकमील नहीं किया गया था। इस प्रकार, उक्त प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूमि रूपचंदजी द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से खरीद की गई थी तथा उस पर मकान का निर्माण भी वर्ष 1971 में रूपचंदजी द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से करवाया गया था। राजाजी का देहावसान 17.01.1983 को हुआ था और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थीगण की माता उनके प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारी की परिसीमा में नहीं आती थी। प्रार्थीगण की माता का विवाह सन् 1946 में हो चुका था। प्रार्थीगण की माता कपूदेवी अपने विवाह के बाद राजाजी के परिवार की सदस्य नहीं रही। प्रार्थीगण की

......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

माता कपूदेवी का प्रथम विवाह विच्छेद हो जाने से कपूदेवी का नाता विवाह प्रागाजी निवासी सिवणा के साथ 1949 में किया गया था। रूपचंदजी का स्वर्गवास हो गया है। रूपचंदजी तथा उनकी पत्नी अप्रार्थी संख्या 2 ने छोगाजी के पुत्र रमेश कुमार को उसके जन्म होते ही गोद ले लिया था तथा भविष्य में किसी प्रकार की दुविधा से बचने हेतु गोद लिखत भी दिनांक 15.10.2010 को निष्पादित किया गया था। राजाजी के मृत्यु के समय प्रार्थीगण की माता कपूदेवी उनके परिवार की सदस्य नहीं थी। जिससे वह राजाजी की संपत्ति में किसी प्रकार का अधिकार नहीं रखती थी। अन्यथा भी उक्त आवासीय सम्पति रूपचंदजी द्वारा अपनी खुद की आय से खरीद की गई थी और स्वअर्जित आय से ही भवन निर्माण करवाया गया था। उक्त सम्पति में राजाजी का ही कोई अधिकार नहीं था, जिससे कपूदेवी का आधा हिस्सा अथवा कोई हिस्सा होने का कथन ही बेमाने है। राजाजी की मृत्यु के समय कपूदेवी हिंदू अधिनियम 1956 से शासित थी, जिसके तहत स्त्रियां सहदायिक नहीं होती थी। कपूदेवी को उक्त संपत्ति में किसी प्रकार के स्वामित्त्व अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं और ना कभी उत्पन्न हुए। राजाजी की मृत्यु के पश्चात् उनकी संपत्ति कृषि भूमि उनके पुत्र रूपचंदजी को प्राप्त हो गई थी। रूपचंदजी द्वारा कोई तथ्य छिपाकर पट्टा जारी नहीं करवाया है और ना गुपचुप तरीके से ही जारी करवाया गया है। सरपंच ना तो रूपचंद जी का रिश्तेदार था और ना रूपचंद जी इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे कि सरपंच विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना तथा विधि अनुसार कार्यवाही किए बिना रूपचंदजी के हक में पट्टा जारी कर देता। प्रश्नगत संपत्ति खरीद कर उस पर भवन निर्माण रूपचंद जी द्वारा करवाया गया था और रूपचंद जी ही बतौर एकल स्वामी सभी की सचेत जानकारी में खुले व सदृश्य रूप से उक्त संपत्ति को उपयोग उपभोग कर रहे थे। अपने विवाह के बाद कपूदेवी अपने ससुराल के गृहस्थ की सदस्य हैं। कपूदेवी का रूपचंदजी के स्वामित्व की व उनके द्वारा अर्जित की गई प्रश्नगत संपत्ति में कोई हक अधिकार ही नहीं है अतः आधा हिस्सा होने का कथन ही बेमाने है। राजाजी का भी उक्त सम्पति में कोई हक नहीं था, अतः कपूदेवी को भी राजाजी की पुत्री होने के नाते कोई हक अधिकार उक्त संपत्ति में उत्पन्न नहीं हुए हैं। कपूदेवी अपने विवाह के बाद ग्राम सिवणा की निवासी है। यह कि प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में यह स्पष्ट नही किया है कि कपूदेवी को उक्त पट्टे की जानकारी कब हुई और कब ऐतराज पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 ने कभी भी कपूदेवी का उक्त संपत्ति में आधा हिस्सा होना स्वीकार नहीं किया है और ना कभी भी कपूदेवी का नाम दर्ज करवाने हेतु आश्वासन दिया है। प्रश्नगत सम्पति रूपचंदजी द्वारा अर्जित की गई है। अतः राजाजी की पुत्री होने के नाते प्रार्थीया का कोई स्वत्व अधिकार उक्त संपत्ति में नहीं है। रूपचंदजी ने प्रश्नगत मकान वाली भूमि खरीद कर बतौर स्वामी उस पर मकान निर्माण कार्य करवाया था और बतौर एक मात्र स्वामी के ही उक्त संपत्ति का निरंतर उपयोग उपभोग अपने जीवनकाल तक करते रहे थे। रूपचंदजी की मृत्यु के पश्चात् बतौर स्वामी अप्रार्थी संख्या 2 व उसके पुत्र श्री रमेश कुमार उक्त संपत्ति का उपयोग उपभोग बतौर स्वामी कर रहे हैं। कपूदेवी की पूर्ण सचेत जानकारी में खुले व सदृश्य रूप में रूपचंदजी ने वर्ष 2004 में उस पुराने मकान को पूर्णतः गिरा कर वर्तमान भवन का निर्माण करवाया। कपूदेवी ने राजाजी की मृत्यु के पश्चात् गत 38 वर्षों में कभी भी उक्त संपत्ति में अपना हक अधिकार होने का दावा नहीं किया और ना अपने कथित हक अधिकारों की कभी कोई मांग ही की। रूपचंदजी द्वारा अर्जित व निर्मित सम्पति का उनके हक में जारी पट्टा विधि अनुसार है। पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को ही है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रावधानों अनुसार उक्त पट्टा जारी किया गया है। जिसे अपास्त करवाने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। पट्टा जारी करने के पूर्व आवश्यक आज्ञापक प्रावधानों की पालना ग्राम पंचायत द्वारा की गई है। यह गौर योग्य है कि पट्टा पुराने बने हुए गृह का जारी किया गया है।

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पुराने निवास गृह का पट्टा जारी करने हेतु नियम 157 के तहत आवेदन किए जाने के अलावा अन्य किसी प्रकार के प्रक्रिया की पालना किया साचा का कोई प्रावधान नहीं है। रूपचंदजी द्वारा निर्मित मकान करीब 45 वर्षों से भी अधिक पुराना बना हुआ था। एक मकान का ही नियमानुसार विनियमतीकरण अप्रार्थी संख्या 2 किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 का उक्त भूमि पर कब्जा अपने पूर्व रसाधिकारी के जरिए निरंतर व निर्वाध रूप से गत 50 वर्षों से अधिक समय से चला आ रहा है। विद्युत सम्बन्ध भी रूपचंदजी द्वारा उक्त मकान में प्राप्त किया गया था। यद्यपि रूपचंदजी मकान के विनयमिकरण कराने हेतु आवेदक मात्र थे। तथापि नियमों की पालना करने का दायित्व ग्राम पंचायत का था। अप्रार्थी संख्या 2 की जानकारी में ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की पालना विधिवत की गयी है एवं उसमें कोई अनियमितता नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा गठित कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है और आम नोटिस भी प्रकाशित किया गया है। नियम व प्रावधान विधिक प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बनाए गए है न कि उनकी आड में अड़चने व उलझने पैदा करने के लिए। निगरानी आवेदन में यह स्पष्ट नही किया है कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा विक्रय विलेख जारी करने की प्रक्रिया में किस अन्य आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की है। अन्यथा भी नियमों व प्रक्रिया का पालन करने का दायित्व ग्राम पंचायत का है और ग्राम पंचायत द्वारा उसमें किसी प्रकार की कमी रखी गई है तो उसके लिए अप्रार्थी संख्या 2 को दण्डित नहीं किया जा सकता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 166 के तहत आबादी भूमि विक्रय करने के पंचायत के मूल आदेश के विरूद्ध अधिनियम की धारा 61 के तहत अपील किये जाने का प्रावधान किया गया है। जिन मामलों में अपीलें प्रावधानित है, उन मामलो में निगरानी के जरिये हस्तक्षेप करना अपीलीय न्यायालयों द्वारा अवैध होना विनिश्चित किया है। प्रार्थीगण निगरानी के माध्यम से अपील निर्णित करवाना चाहते है। निगरानी व अपील की सुनवाई व आपत्ति हेतु पृथक व सीमित अधिकार प्रदान किए गए है। प्रार्थीया ने निगरानी के जो आधार लिए है वे अपील में ही उठाए जा सकते है। विधि में अपील की व्याप्ति व निगरानी की व्याप्ति में भारी भिन्नता है। निगरानी की व्याप्ति सीमित है एवं निगरानी केवल क्षेत्राधिकार की त्रुटि के सम्बन्ध में ही प्रस्तुत की जा सकती है। निगरानी के जरिये प्रार्थना पत्र में उठाई आपत्ति की सुनवाई कराने का अधिकार नहीं है। निगरानी हेतु सामान्य विधि के तहत 90 दिन की अवधि निश्चित है। प्रश्नगत पट्टे को इस निगरानी आवेदन के माध्यम से 11 वर्ष पश्चात् चुनौती दी है। विधि में हर अनुतोष हेतु अवधि नियत है। यह निगरानी आवेदन न तो अवधि मध्य है और न कानूनन निगरानी पोषणीय ही है। निगरानी हेतु जहां अवधि का प्रावधान नहीं है, वहां निगरानी यथोचित समय के भीतर किया जाना माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय 1997 SAR 783 में व उच्च न्यायालय ने 1997 DNJ 438 में निर्णित किया है। कपूदेवी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रश्नगत सम्पति में उसका आधा हिस्सा होने की अवधारणा करते पेश की गई है। अप्रार्थी संख्या 2 व उसके पूर्वरसाधिकारी द्वारा प्रार्थीया का कोई अधिकार अथवा स्वत्व उक्त सम्पति में होना स्वीकार नहीं किया गया है, अपितु सम्पति को रूपचंदजी द्वारा खरीद की जा कर बतौर एकल स्वामी उपयोग उपभोग किया गया है। निगरानी के तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत सम्पति में कपूदेवी के अधिकारों को रूपचंदजी व अप्रार्थीया द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया गया है। कपूदेवी के उक्त सम्पति में स्वत्व अधिकार सक्षम दिवानी न्यायालय द्वारा ही तय किए जा सकते है। कपूदेवी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अपने साम्पतिक अधिकारों को सक्षम दिवानी न्यायालय द्वारा निर्णित करवाए बिना पोषणीय नहीं है। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त 2008 DNJ(2)(SC) 852, 1997 DNJ(Raj,) 751, 1997(3) RLW 1567, 1999 WLC(UC) 264 में अंकित तथ्यों की ओर भी ध्यान आकर्षित करते हुए प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन खारिज किये जाने का अनुरोध किया। .....पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला ... न्यायालय * सिरोही * राजस्थान

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा श्री रुपचन्द पुत्र राजाजी पुरोहित, निवासी– कैलाशनगर के पक्ष में पंचायत के संकल्प संख्या 4 दिनांक 05.12.2009 के अनुसरण में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत क्षेत्रफल 2645 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 36 दिनांक 16.12.2009 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा :–

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल–

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 100/– रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 200/– रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप–खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप–खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी। राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 के द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप नियम (1) के खण्ड (i) के उपखण्ड़ (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति "इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षो के दौरान" के स्थान पर अभिव्यक्ति 31.12.2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान" प्रतिस्थापित की गई है।

इस संबंध में प्रार्थीगण का मुख्यतः कथन यह है कि "ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा श्री रुपचन्द पुत्र राजाजी पुरोहित, निवासी– कैलाशनगर के पक्ष में जारी प्रश्नगत पट्टा संख्या 36 दिनांक 16.12.2009 की आवासीय सम्पति स्वर्गीय राजाजी की सम्पति है। स्वर्गीय राजाजी के स्वर्गवास के बाद उक्त आवासीय सम्पत्ति उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी, प्रार्थीगण की माता कपूदेवी व अप्रार्थी संख्या 2 के पति स्वर्गीय श्री रूपचंदजी को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण की माता कपूवी के भाई स्वर्गीय रूपचंदजी ने प्रार्थीगण की माता कपूदेवी के जीवित रहते उक्त तथ्य को छुपाकर अकेले के नाम से उक्त सम्पत्ति का पट्टा जारी करवाया है जबकि प्रार्थीगण की माता कपूदेवी का उक्त आवासीय सम्पत्ति में 1/2 आधा हिस्सा स्वामित्व हक अधिकार का है, जो स्वर्गीय राजाजी की पुत्री होने के नाते प्रार्थीगण की माता कपूदेवी को उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है, लेकिन अप्रार्थी संख्या–2 (नीरुदेवी उर्फ नैनूदेवी) के पति स्वर्गीय रूपचंदजी ने ग्राम पंचायत, कैलाशनगर के पदाधिकारियों से मेल मिलाप कर गुपछुप तरीके से स्वर्गीय राजाजी की उक्त आवासीय सम्पति का अकेले स्वयं के नाम से पट्टा प्राप्त कर लिया है, जबकि स्वर्गीय रूपचंदजी को स्वयं के अकेले के हक में पट्टा जारी करवाने का अधिकार नहीं था तथा न ही ग्राम पंचायत, कैलाशनगर को स्वर्गीय राजाजी की आवासीय सम्पति का अकेले रूपचंदजी पुत्र राजाजी पुरोहित के हक में पट्टा जारी करने का कोई अधिकार है।" जबकि अप्रार्थी संख्या–2 का यह

......पेज सात पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कथन है कि "उक्त प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूमि रूपचंदजी द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से खरीद की गई थी तथा उस पर मकान का निर्माण भी वर्ष 1971 में रूपचंदजी द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से करवाया गया था। राजाजी का देहावसान 17.01.1983 को हुआ था और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थीगण की माता उनके प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारी की परिसीमा में नहीं आती थी। प्रार्थीगण की माता का विवाह सन् 1946 में हो चुका था। प्रार्थीगण की माता कपूदेवी अपने विवाह के बाद राजाजी के परिवार की सदस्य नहीं रही। प्रार्थीगण की माता कपूदेवी का प्रथम विवाह विच्छेद हो जाने से कपूदेवी का नाता विवाह प्रागाजी निवासी सिवणा के साथ वर्ष 1949 में किया गया था।"

प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 36 दिनांक 16.12.2009 से संबंधित भूमि पर आवासीय मकान बना हुआ है, लेकिन प्रकरण में प्रार्थीगण ने निगरानी आवेदन में अंकित उक्त कथनों के समर्थन में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा श्री रुपचन्द पुत्र राजाजी पुरोहित, निवासी– कैलाशनगर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 16.12.2009 की सम्पति, अप्रार्थी संख्या–2 (नीरुदेवी उर्फ नैनूदेवी) के पति श्री रुपचन्द पुत्र राजाजी पुरोहित, निवासी– कैलाशनगर की स्वअर्जित सम्पति नही होकर पुश्तैनी सम्पति हो। प्रार्थीगण ने निगरानी आवेदन में यह भी स्पष्ट नही किया है कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 के पति श्री रुपचन्द पुत्र राजाजी के पक्ष में पट्टा जारी करने में क्या व किस स्तर पर अनियमितता बरती गई है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों व विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए व पंचायत बैठक में प्रस्ताव पारित करके श्री रुपचन्द पुत्र राजाजी पुरोहित के पक्ष में पट्टा जारी किया है। चूंकि निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने का दायित्व प्रार्थीगण निगरानीकार का है, लेकिन प्रार्थीगण निगरानीकार, निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने में असफल रहे है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में मुख्यतः विवाद सम्पति के स्वामित्व का है एवं सम्पति के स्वामित्व के बिन्दु को तय करने का अधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को ही है। यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा श्री रुपचन्द पुत्र राजाजी के पक्ष में वर्ष 2009 में पट्टा जारी किया गया है, लेकिन प्रार्थीगण की माता कपूदेवी द्वारा यह निगरानी आवेदन पट्टा जारी होने के 10 वर्ष से अधिक समय के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, जो अतिशय विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है एवं इस विलम्ब की अवधि के संबंध में प्रार्थी पक्ष ने निगरानी आवेदन में कोई ठोस कारण नही दर्शाया है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार हस्तगत निगरानी आवेदन सारहीन होने एवं साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किया जाता है। इसी मुताबिक पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17 जनवरी, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही